

मध्यप्रदेश शासन  
जनजातीय कार्य विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक एफ 12-18/2017/25-2/32

भोपाल, दिनांक 08/01/18

प्रति,

आयुक्त  
आदिवासी विकास  
म0प्र0 भोपाल

विषय:-छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन योजना क्रमांक 2676 की प्रशासकीय स्वीकृति बावत्।

संदर्भ:-आपकी यू0ओ0टीप क्रमांक 14309 दिनांक 27/06/2017.

मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 2 दिनांक 20 दिसम्बर 2017 द्वारा अनुमोदन अनुसार "छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन" को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर संचालन एवं वित्तीय आकार केन्द्रांश राशि रूपये 43985.31 लाख (रूपये चार सौ उन्चालीस करोड पच्यासी लाख इक्तीस हजार मात्र) एवं राज्यांश राशि रूपये 14661.76 लाख (रूपये एक सौ छियालीस करोड इकसाठ लाख छिहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। विद्यमान योजना के स्वरूप एवं उसके विस्तार की समीक्षा की जावे।

2. योजना में निम्नानुसार आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी जाती है:-

- योजना का नाम पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के स्थान पर "छात्रवृत्ति कक्षा 11 वीं, 12 वीं एवं महाविद्यालयीन" बजट में किया जावे।
- अशासकीय संस्थानों के पाठ्यक्रमों के लिए "प्रवेश एवं फीस नियामक समिति" एवं निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग" द्वारा फीस निर्धारित की गयी है उनके शुल्क की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति की वार्षिक आय सीमा रूपये 3.00 लाख से बढ़ाकर रूपये 6.00 लाख की जाती है। भारत सरकार द्वारा वार्षिक आय सीमा रूपये 2.50 लाख तक का व्यय भार वहन किया जायेगा। वार्षिक आय सीमा रूपये 2.50 से अधिक रूपये 6.00 लाख तक का व्यय भार राज्य मद से किया जावे।
- माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा क्रमांक बी 1694 अनुसार कक्षा 01 से पी.एच.डी. तक शासकीय एवं शासकीय स्ववित्त पोषी शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षण दी जाना है। घोषणा के आधार पर "छात्रवृत्ति- कक्षा 11वीं, 12वीं एवं

FAS/PAITHANKAR


08 JAN 2018

DCCP  
शा.वि.वि.

M

copy to  
IT cell

पी.ए./सीटीडी  
क्रमांक 37 दिनांक 9/1/18



महाविद्यालयीन" योजना अंतर्गत अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति व विद्यार्थियों की आय सीमा का बंधन समाप्त किया जावे।

- वर्तमान में समूह 01 के छात्रावासी विद्यार्थियों को निर्वाह भत्ता के रूप में भारत सरकार से रुपये 1200/- प्रति माह प्रति विद्यार्थी प्राप्त हो रहा है जिसे वृद्धि कर राज्यांश मद से रुपये 300/- अतिरिक्त अर्थात् कुल रुपये 1500/- प्रति माह 10 माह के लिये किया जावे।

3. उक्त व्यय मांग संख्या 33 मुख्य शीर्ष 2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 277 शिक्षा 0102 अनुसूचित जनजाति उप योजना (सबस्कीम) 2676 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ 41 छात्रवृत्तियाँ एवं वृत्तियाँ 002 छात्रवृत्ति एवं मांग संख्या 33 मुख्य शीर्ष 2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 277 शिक्षा 0802 केन्द्र क्षेत्र योजना अनुसूचित जनजाति उप योजना (सबस्कीम) 2676 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ 4 छात्रवृत्तियाँ एवं वृत्तियाँ 002 छात्रवृत्ति मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।

5. यह स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5(ए)1/2013/ई/चार, दिनांक 10 अप्रैल 2015 द्वारा वित्तीय सलाहकार को पृष्ठांकन के प्रदत्त अधिकार के तहत यूओ0क्रमांक 369/2017/एफएएस/25 दिनांक 08/01/2018 द्वारा दी गई सहमति के तहत जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,

तथा आदेशानुसार



(महेन्द्रपाल सिंह निरंजन)

वित्तीय सलाहकार

मध्यप्रदेश शासन

जनजातीय कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 12-18/2017/25-2

1. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्रीजी, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जातियों का कल्याण विभाग।
2. प्रमुख सचिव(समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, जनजातीय कार्य विभाग।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम म.प्र. ग्वालियर।